	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 16, मंगलवार, शाके 1942–जुलाई 7, 2020 *Asadha 16 , Tuesday, Saka 1942–July 7, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 07, 2020

जी.एस.आर.178 :-राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम,1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधानसभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) नियम,1973 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधानसभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान विधानसभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) नियम, 1973,जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) "आबंटक प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अध्यक्ष या राजस्थान विधानसभा की गृहसमिति अथवा गृहसमिति द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति;"

3. नियम 3 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 3 में, विद्यमान उप-नियम (14) के पश्चात् और विद्यमान उप-नियम 15 के पूर्व निम्नलिखित नया उप-नियम (14क) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(14क) आबंटक प्राधिकारी का यदि यह समाधान हो जाये कि किसी सदस्य को आबंटित निवासीय सुविधा,-

(i) जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हो गयी है;

(ii) मानवीय निवास के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त हो गयी है;

(iii) का नवीनीकरण या पुनर्निर्माण किया जाना अपेक्षित है; या

(iv) किसी अन्य लोकप्रयोजन के लिए अपेक्षित है,

तो वह किसी भी समय ऐसी निवासीय सुविधा का आबंटन रद्द कर सकेगा और ऐसी निवासीय सुविधा को रिक्त करने के लिए आदेश पारित कर सकेगा। इस प्रकार पारित आदेश सम्बंधित सदस्य,जिसको निवासीय सुविधा आबंटित की गयी थी, लिखित में तामील किया जायेगा। इस उप-नियम के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति पर सदस्य उसे आबंटित निवासीय सुविधा को रिक्त कर देगा और ऐसे आदेश की तारीख से 15 दिवस के भीतर या ऐसे समय के भीतर जो अध्यक्ष द्वारा बढाया जाये, अधिशासी अभियंता को ऐसी निवासीय सुविधा का कब्जा सौंप देगा।"।

[संख्या एफ 7(11)संसद/1987]

राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार भारवानी,

प्रमुख शासन सचिव ।

Parliamentary Affairs Department

NOTIFICATION

Jaipur, July 07, 2020

G.S.R.178 .-In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 11 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) Rules, 1973, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) (Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 2.-** The existing clause (a) of rule 2 of the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) Rules, 1973, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(a) "Allotting Authority" means the Speaker or House Committee of the Rajasthan Legislative Assembly or any person duly authorised by the House Committee;"

3. **Amendment of rule 3.-** In rule 3 of the said rules, after the existing sub-rule (14) and before the existing sub-rule (15), the following new sub-rule (14A) shall be inserted, namely:-

"(14A) The Allotting Authority, if satisfied that any residential accommodation allotted to any Member,-

(i) has become in dilapidated condition;
(ii) has become unsafe or unfit for human habitation;
(iii) is required for renovation or reconstruction; or
(iv) is required for any other public purposes,

may cancel the allotment of such residential accommodation at any time and pass an order for vacation of such residential accommodation. The order so passed shall be served in writing to the Member concerned to whom residential accommodation was allotted. Upon

receipt of order passed under this sub-rule, the Member shall vacate the residential accommodation allotted to him and hand over the possession of such residential accommodation to the Executive Engineer within fifteen days from the date of order or within such time as may be extended by the Speaker."

[No. F.7(11) Sansad/1987]
By Order of the Governor,
Vinod Kumar Bharwani,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.